न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 237/2023

दीपक गर्ग बनाम दलीप कुमार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता,

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री तेजासिंह संधू अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी 1 ता 3
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21.11.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार अनवान सदर के मुकदमा धारा 88,188 आर टी ए में दिनांक 27–10–2023 को चक गणेशगढ मुरब्बा नम्बर 111 किला नम्बर 12/2, 13,14,19 ता 22 कुल 1.695 है. भूमि के बारे में पेश किया गया है जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा का व कब्जा में मदाखलत न करने का अनुतोष चाहा है। जबकि इन्ही पक्षकारान द्वारा पूर्व में एक दावा 117/2017 पेश किया गया था जिसको अदालतवाला द्वारा 24–12–2018 को खारिज कर दिया है और जिसकी कोई अपील पेश नहीं की और आज तक आदेश अन्तिम है। वादी/प्रार्थी के खिलाफ सज्यूडीकेट का सिद्धान्त लागू होता है। पूर्व में दावा का निर्णय हो चुका है और अब यह दावा उन्ही पक्षों द्वारा पेश नहीं किया जा सकता । दावा बार्ड बाई लॉ है व धारा 11 सीपीसी से हिट होता है। इसलिए दावा काबिले खारिजी है । अतः प्रार्थना–पत्र अं.धा. 11 व आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा बार्ड बाई लॉ व पूर्व न्याय के सिद्धान्त पर पूर्व निर्णय होने के आधार पर रेसज्यूडीकेटा मानते हुए खारिज फरमाया जोवे ।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी की ओर से अनवान सदर का मुकदमा धारा 88 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो । प्रार्थी/वादी की ओर से अपनी खातेदारी कृषि भूमि के सन्दर्भ में बतौर खातेदार अपनी भूमि एवं अपने खातेदारी हकों की सुरक्षार्थ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो कि बतौर खातेदार प्रार्थी/वादी प्रस्तुत करने का अधिकारी है। यह तथ्य असत्य, असंगत एवं जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है, अस्वीकार है कि पूर्व में दावा संख्या 117/2017 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 24.12.2018 को खारिज कर दिया गया हो एवं रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता हो। यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि पूर्व में दावा का निर्णय हो चुका हो एवं मौजूदा दावा प्रस्तुत ना किया जा सकता हो। यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि दावा बार्ड बाई लॉ हो एवं धारा 11 सी.पी.सी. से हिट होता हो। मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से बिना वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन किये एवं बिना सम्बन्धित विधि का अध्ययन किये प्रस्तुत किया गया है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविक स्थिती यह है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में धारा 11 सी.पी.सी का आधार आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के प्रार्थना पत्र हेतु लिया है जबकि धारा 11 सी. पी. सी. के तहत पृथक से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति पूर्व के वाद पत्र की एवं निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर दस्तावेजी साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य के साथ यह प्रमाणित करना होता है कि पूर्व के वाद के पक्षकार, अनुतोष, अभिवचन समान है एवं पूर्व का वाद अन्तिम रूप से निर्णित हो चुका है। यह समस्त तथ्य जवाबदावा प्रस्तुत कर बाद तनकी एवं मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से ही निर्णित हो सकता है आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत धारा 11 का आधार वाद को बार्ड बाई लॉ कहकर निरस्त करने का नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण कथित तथ्यों को जवाबदावा में अंकन कर, तनकीयात कायम कर बाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रमाणित कर ही निर्णित करवा पाने के अधिकारी है इसलिये आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है । लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि में जवाबदावा प्रस्तुत ना करने की अवस्था में प्रतिवादीगण की जवाबदेही बन्द की जाकर आयन्दा विचारण किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.12.2018 की प्रति पेश की गई।

बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र के जवाब व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत निर्णय की प्रति दिनांक 24.12.2018 का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा 111/2017 पेश किया गया था जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा 24–12–2018 को किया जाकर वाद खारिज किया गया है। पूर्व में निर्णित वाद एवं हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एक ही है जिसका निर्णय पूर्व में दिनांक 24.12.22018 को किया जा चुका है। वादी के वाद का पूर्व में निर्णय किया जा चुका है जिसकी वादी द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादी का वाद रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने से वादी का वाद धारा 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner